प्राइड द्वारा मेघालय विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 से 4 मई, 2023 तक आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा मेघालय विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित किए जा रहे इस प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर आज आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों को संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने में प्राइड अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

प्राइड ने विगत वर्षों में, देश के विभिन्न जनप्रतिनिधियों और अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए कई प्रबोधन कार्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं, और निस्संदेह मैं यह कह सकता हूँ कि प्राइड ने इस संबंध में बहुत उत्कृष्ट काम किया है।

माननीय सदस्यगण, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मेघालय विधान सभा की गिनती देश की सबसे अनुशासित सभाओं में होती है जहां सार्थक वाद-विवाद के माध्यम से इस संस्था की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा गया है । मेघालय में 60 सदस्यों वाली एक सदनीय विधायिका है। मेघालय विधान सभा भी भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं के समान संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन करती है।

मेघालय जिसका शाब्दिक अर्थ है ''बादलों का घर" अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, जीवंत संस्कृति और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है।

दूर दूर तक फैले पहाडों, प्राचीन लिविंग रूट्स ब्रिजेस, हरे-भरे वनों, गुफाओं, स्वच्छ नदियों और मनोरम झरनों वाले इस राज्य की गिनती भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में होती है । मेघालय के लोग पर्यावरण और राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाए रखने के लिए जाने जाते हैं। अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार और आतिथ्य सत्कार तथा अपनी सुदृढ़ सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध मेघालय के लोग पर्यटकों को बहुत प्रभावित करते हैं। मेघालय का प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यहां आने वालों को एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है।

माननीय सदस्यगण, भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक परंपराएं और मूल्य भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। सहिष्णुता, राजनैतिक मतभेद के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मुद्दों का समाधान करना सदियों से हमारी पहचान तथा हमारी राजनीतिक विचारधारा का अभिन्न अंग रही हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हमारा कार्यशील लोकतंत्र जिसकी पूरा विश्व सराहना करता है, सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों और समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

माननीय सदस्यगण, सुशासन मुख्य रूप से विधानमंडलों के प्रभावी कार्यकरण पर निर्भर करता है जो लिखित और अलिखित संसदीय परंपराओं और परिपाटियों के बल पर ही संभव है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद का सर्वोच्च स्थान है। यह प्रणाली संवैधानिक प्रावधानों, नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के ज़रिए काम करती है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन के बाद वे लोगों के कल्याण और राष्ट्रहित के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। संसदीय पद्धति और प्रकिया हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की वह आधारशिला है जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। हमारी संसदीय प्रक्रियाएं संसद सदस्यों को अपने मतदाताओं के सरोकारों को उठाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं जिन्होंने बड़ी आशा के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को चुना होता है।

संसद के नियमों और विनियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं के मौजूदा ढांचे के तहत, एक सदस्य सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकता है, जनता की समस्याओं को उजागर कर उनके निवारण की मांग कर सकता है और नीति निर्माण के स्तर पर सार्थक प्रभाव डाल सकता है।

माननीय सदस्यो, असहमति किसी भी कार्यशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और असहमति व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही को बाधित करने या वेल में आने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी संसदीय प्रक्रियाएं और नियम संसद सदस्यों को दूरगामी महत्व के कानूनों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर और पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि सदन के कार्यकरण को सुचारू रूप से निर्धारित नियमानुसार चलने दिया जाए। संसद के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है- कार्यपालिका को हर हाल में विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाना।

इस मूलभूत सिद्धांत के पालन हेतु कुछ प्रक्रियात्मक साधनों को संस्थागत स्वरूप दे दिया गया और चैंबर में इन साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की जाए और सदस्यों के बीच तथा कार्यपालिका तथा संसद के बीच सामंजस्य बना रहे।

लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने खुद देखा है कि विधायी कार्यों के सुचारु संचालन में संसदीय पद्धति और प्रक्रिया का कितना महत्व है। विधायिका के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को उनसे भली-भांति परिचित होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य और समस्त सभा के अधिकारों का संरक्षक होने के नाते सदन के कार्यों का सुचारू संचालन मेरा दायित्व है। यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि चैम्बर में होने वाले विचार-विमर्श में सभी दलों की बात सुनी जाए। जब भी व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में मुझे नियमों की व्याख्या करनी होती है और उस विषय संबंधी यदि कोई पूर्वोदाहरण हों या पहले दिए गए निर्णय हों तो उनका अध्ययन करना होता है और उनका संदर्भ देना होता है।

जब भी आवश्यकता होती है मुझसे यह आशा भी की जाती है कि मैं अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर नई पद्धति विकसित करूँ, निदेश दूँ और विनिर्णय जारी करूँ। इन मामलों में अध्यक्ष द्वारा दिये गए निर्णय ही अंतिम होते हैं, इनसे पूर्वोदाहरण बनते हैं और ये ही आगामी सदनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बन जाते हैं।

उदाहरण के तौर पर, 'शून्य काल' में सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने का अवसर प्राप्त होता है। सभा की कार्यवाही में इसका नियमित उपयोग होता था परंतु इसके संबंध में कोई नियम नहीं था। समय के साथ यह कार्यवाही का महत्वपूर्ण अंग बन गया और इसका विनियमन कर दिया गया है। इसलिए यह सदस्यों पर निर्भर है कि वे व्यापक राष्ट्रहित में नियमों और पद्धतियों का किस प्रकार समुचित उपयोग कर सदन के सुचारू संचालन में सहायता कर सकते हैं।

मेघालय की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के रूप में आप पर मेघालय के लोगों के हित में कानून बनाने की ज़िम्मेदारी है।

यह बहुत ज़रूरी है कि आप सार्थक वाद-विवाद करें और आपकी चर्चा औचित्यपूर्ण और तर्कसंगत हो। मेघालय के लोगों की पूरी निष्ठा और समर्पित भाव से सेवा करना आपकी सर्वोपरि ज़िम्मेदारी है। विधायिका के सदस्य के रूप में आप सबका यह कर्तव्य है

कि आप लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करें और संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के अनुसार कार्य करें। यह सुनिश्चित करना आप सबकी जिम्मेदारी है कि विधायी कामकाज कुशल और पारदर्शी ढंग से एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए किया जाए । ऐसा तभी हो सकता है जब विधानसभा के सदस्यों को संसदीय पद्धति और प्रक्रिया का समुचित ज्ञान हो।

माननीय सदस्यगण, प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान आपको प्रख्यात संसदविदों, वरिष्ठ संसदीय अधिकारीगण एवं विशेषज्ञों के साथ बातचीत का अवसर मिलेगा। बातचीत के दौरान वे आपको हमारी विधायी प्रक्रिया के विभिन्न आयामों, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों, समितियों, मतदान की प्रक्रिया और कार्य संचालन के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करेंगे।

इससे आप प्रश्न काल के महत्व को समझ पाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि प्रश्न काल किस प्रकार से सरकार को जवाबदेह ठहराने में सहायक होता है। यह कार्यक्रम आपके लिए अपने विचारों एवं ज्ञान का परस्पर आदान-प्रदान करने का अवसर भी होगा ताकि सभी प्रतिभागी एक-दूसरे से सीख सकें और संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ा सकें।

अंत में, एक बार फिर से, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आप सभी इस प्रबोधन कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाएं एवं इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त जानकारी और कौशल का उपयोग करके पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेघालय के लोगों की सेवा करें। मैं आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल होगा और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करेगा। मैं आपके भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।
धन्यवाद।